(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील/13/2023 **दायर दिनांकः 15.12.2023**

उनवान

1. कारूलाल पि. छीतरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सुनेल तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल
3. अयोध्याबाई पत्नि रामनारायण जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. मांगीलाल पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. रेखाबाई पुत्री छीतरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. सोहनबाई पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
7. असगर खान पि. नसीब खान जाति मुसलमान नि. सुनेल तहसील सुनेल

रेस्पोडेन्टस

अपील इन्तकाल सं. 5355 ग्राम पंचायत सुनेल अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वकील अपीलांटस :— श्री रमेशचन्द सोनी

रेस्पोडेन्टस :— एकतरफा

आदेश दिनांक : 28.10.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सुनेल के खातेदार कृषक छीतरलाल पि. कंवरलाल गुर्जर नि. सुनेल की पत्नि प्रेमबाई थी जिसका दिनांक 18.02.2014 को स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार छीतरलाल पि. कंवरलाल गुर्जर का स्वर्गवास होने के पश्चात फोती नामा.सं. 5355 ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा तस्दीक किया गया जिसमें मृतक की पत्नि का नाम यशोदा पत्नि छीतरलाल का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया जबकि यशोदा पत्नि छीतरलाल नाम का कोई अस्तित्व नहीं है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा फौती नामा.सं. 5355 बिना विधिवत जांच किये खोला गया जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा फौती नामान्तरण खोलते समय अपीलांट को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। नामा.सं. 5355 अपीलांट की अनुपस्थिति में खोला गया जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ है। छीतरलाल की पत्नि प्रेमबाई थी जो कि अपीलांट की माता है जिसका स्वर्गवास दिनांक 18.02.2014 को हो गया है। मृतक छीतरलाल की पत्नि के रूप में जिस यशोदा का नाम अंकित किया गया है वह वस्तुतः मृतक छीतरलाल की पुत्रवधू है यानि कि अपीलांट की पत्नि है। नामान्तरण में यशोदा का गलत नाम दर्ज होने से अपीलांट को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामा.सं. 5355 कानून व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 21.11.2023 को इन्तकाल की नकल लेने पर हुई जिससे अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है, मियाद माफी हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्टस 3 लगायत 7 सहखातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। माननीय न्यायालय को अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा नामा.सं. 5355 पर पारित आदेश निरस्त किया जाकर विधिवत जांच कर मृतक के वारीसान के नाम नये सिरे से इन्तकाल खोलने के आदेश प्रदान किये जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 09.05.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

2. अपीलांट की ओर से अपील के समर्थन में नामा.सं. 5355 की सत्यप्रति, प्रेमबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यशोदा का आधारकार्ड व जनाधार कार्ड की फोटोकापी, छीतरलाल के जनाधार कार्ड की फोटोकापी, प्रेमबाई का आधारकार्ड, छीतरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अपीलांट का आधारकार्ड पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(5)

3. वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सुनेल की आराजी ख.नं. 6 रकबा 5.1850 हेक्टर कृषि भूमि में दर्ज खातेदार छीतरलाल पि. कंवरलाल की दिनांक 04.06.2022 को मृत्यु हो जाने से पटवार हल्का सुनेल द्वारा नामा.सं. 5355 दर्ज किया जिसको भू.अभिलेख निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा बिना निधिक वारीसान की जांच किये बिना तस्दीक कर दिया जिससे मृतक खातेदार छीतरलाल की वास्तविक पत्नि प्रेमबाई के बजाय उसकी पुत्रवधु/अपीलांट की पत्नि यशोदा का नाम पत्नि/बेवा के रूप में गलत दर्ज कर दिया। मृतक खातेदार के वारीसान में उनकी पत्नि प्रेमबाई, पुत्र कारूलाल व पुत्री रेखाबाई थी। यशोदा कारूलाल की पत्नि है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा उक्त फोती नामान्तरण को तस्दीक करते समय भी अपीलांट को सूचित भी नहीं किया और न ही मजमे आम में भली भांति जांच की जिस कारण उक्त नामा. गलत वारीसान के नाम दर्ज हो गया। इस गलत नामा. की जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.11.2023 को इन्तकाल की नकल लेने पर हुई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल सं. 5355 खारीज किये जाने योग्य है।

4. वकील अपीलांट ने आगे कथन किया मृतक खातेदार छीतरलाल की वास्तविक पत्नि प्रेमबाई का देहान्त दिनांक 18.02.2014 को छीतरलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुका था। इसके बावजूद नाम.सं. 5355 को तस्दीक करते समय छीतरलाल की पत्नि के रूप में उसकी पुत्रवधु अपीलांट की पत्नि यशोदा का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जो कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की भारी भूल है जिस कारण नामा.सं. 5355 निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट की माता प्रेमबाई का फोती नामा. भी अपीलांट व अपीलांट की बहिन के पक्ष में तस्दीक करने के आदेश फरमाये जावे।

5. वकील अपीलांट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत ग्राम सुनेल के नामा.सं. 5355 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामा. पत्र पर अंकित मृतक खातेदार छीतरलाल के पारिवारिक शजरे में पत्नि के रूप में यशोदा का नाम दर्ज किया हुआ है। अपीलांट द्वारा पेश प्रेमबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2014 के अवलोकन से प्रमाणित है कि छीतरलाल नि. सुनेल की पत्नि का नाम प्रेमबाई है जो दिनांक 18.02.2014 को फोत हो चुकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

थी। प्रेमबाई के आधारकार्ड कमांक 970500810196 के अनुसार पति का नाम छीतरलाल है। मृतक छीतरलाल के जनाधार कार्ड कमांक 4887680842 में पुत्र का नाम कारूलाल व पुत्री का नाम रेखाबाई अंकित है। अपीलांट द्वारा पेश राशनकार्ड कार्ड कमांक 010506504178 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट कारूलाल के पिता का नाम हीरालाल व पत्नि का नाम यशोदाबाई है और **यशोदाबाई की उम्र 40 साल व कारूलाल की उम्र 27 साल अंकित है।** अपीलांट ने अपने पिता का नाम छीतरलाल बताया है। अपीलांट द्वारा पेश जनाधार कार्ड कमांक 4887680842 के अवलोकन से जाहिर है कि परिवार की मुखिया का नाम यशोदाबाई है जिसकी जन्म तिथि 01.07.2007 और कारूलाल उनके पुत्र है जिसकी जन्म तिथि 01.01. 1997 है अर्थात **माता–मुखिया यशोदाबाई पुत्र कारूलाल से 10 वर्ष छोटी होना जाहिर होता है जो तकनिकी रूप से संभव नही लगता है।** अपीलांट द्वारा पेश यशोदा के आधारकार्ड कमांक 391448893874 के अनुसार कारूलाल को यशोदाबाई का पत्नि अंकित नहीं किया है। अतः उपरोक्त दस्तावेजो से मृतक छीतरलाल के एक पुत्र अपीलांट कारूलाल एवं एक पुत्री रेखाबाई होना साबित है।

6. **अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर मृतक छीतरलाल की पत्नि प्रेमबाई या यशोदाबाई है या दोनो है– स्पष्ट नहीं है जिसकी आगे जांच किया जाना न्यायोचित होगा।**

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सुनेल की आराजी खाता संख्या 1429 के ख.नं. 6 रकबा 5.1850 है0 के संबंध में ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा तस्दीक किया गया नामा.सं. 5355 दिनांक 18.04.2023 निरस्त कर अपील स्वीकार करने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम सुनेल की आराजी खाता संख्या 1429 के ख.नं. [illegible] के संबंध में ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा तस्दीक किया गया [illegible] निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुनेल को [illegible] किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रकरण में मृतक छीतरलाल पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल के वारीसान की पुनः समुचित जांच कर नये सिरे से वैध वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:37:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner